

**वैकल्पिक शिक्षा अन्तर्गत बेघर, बेसहारा, अनाथ बालक-बालिकाओं के लिये संचालित
नेताजी सुभाषचन्द्र बोस आवासीय विद्यालय/छात्रावासों में प्रतिनियुक्ति तथा साक्षात्कार हेतु आवश्यक
मापदण्ड/दिशा-निर्देश/शर्तें एवं रिक्त पदों की सूचना**

राज्य सरकार द्वारा उक्त आवासीय विद्यालय केजीबीवी मापदण्डानुसार संचालित हैं। अतः पूर्व वर्षों की भाँति राज्य सरकार से जारी निर्धारित नीति (शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग के आदेश क्रमांक प.9(12) शिक्षा-2/2020 दिनांक 18.06.2020) को समाहित करते हुये जारी संशोधित आदेश प.19(12) शिक्षा-2/2020 दिनांक 30.08.2022) के अनुसार प्रतिनियुक्ति/पदस्थापन हेतु मान्य होंगे।

1. प्रतिनियुक्ति हेतु केवल राजकीय सेवा में शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक / शिक्षिकायें आवेदन कर सकते हैं।
2. अभ्यर्थी के खिलाफ वर्तमान में किसी भी प्रकार की कार्यवाही प्रस्तावित/लम्बित नहीं होनी चाहिये।
3. साक्षात्कार के माध्यम से चयनित शिक्षक/शिक्षिका को आवेदन पत्र में दर्शाये गये समस्त मूल दस्तावेज वैकल्पिक शिक्षा अन्तर्गत संचालित नेताजी सुभाषचन्द्र बोस आवासीय विद्यालय / छात्रावासों में कार्यग्रहण के समय सम्बन्धित जिले के सीडीईओ / एडीपीसी कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
4. आवेदन पत्र में अथवा संलग्न दस्तावेजों में से किसी भी दस्तावेज में किसी भी सूचना के गलत पाए जाने पर अभ्यर्थी का चयन किसी भी समय निरस्त कर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।
5. प्रतिनियुक्ति समाप्ति के पश्चात पुनः प्रतिनियुक्ति से पूर्व मूल विभाग में न्यूनतम एक वर्ष की सेवा अवधि अनिवार्य है।
6. राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण सेवा नियम 2011 के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षक / शिक्षिकायें आवेदन के लिए पात्र नहीं हैं।
7. प्रतिनियुक्ति हेतु केवल ऑन-लाईन (Online) आवेदन ही मान्य होंगे।
8. ऑनलाइन आवेदन दिनांक **14/11/2022 से 19/11/2022** की रात्रि 12:00 बजे तक शाला दर्पण पॉर्टल के स्टॉफ विन्डो के माध्यम से स्वयं की लॉगिन आई.डी. से नेताजी सुभाषचन्द्र बोस आवासीय विद्यालय / छात्रावासों के पदों हेतु आवेदन किया जा सकेगा। (इसके उपरान्त लिंक निष्क्रिय हो जायेगा)
ऑनलाइन साक्षात्कार के लिंक व समय की सूचना ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिये गये मोबाइल नम्बर/शाला दर्पण स्टॉफ विन्डो पर प्रेषित की जायेगी।
9. आवेदनकर्ता राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की वेबसाईट <https://rajsmsa.nic.in/> पर ऑन-लाईन साक्षात्कार हेतु दर्शाये गये विद्यालयवार रिक्त पदों के लिये ही आवेदन करें।
10. आवेदनकर्ता अधिकतम दो विद्यालयों/छात्रावासों के लिये आवेदन कर सकता है, इसके लिये उन्हे केवल एक-बार ही साक्षात्कार देना होगा।
11. आवेदनकर्ता से संबंधित सूचना शाला दर्पण के प्रपत्र 10 (P-10) से ली जायेगी। अतः आवेदनकर्ता आवेदन करने से पूर्व प्रपत्र 10 (P-10) का अद्यतन (Update) संस्था प्रधान से करवा लें।
12. आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन को गलत अथवा त्रुटिपूर्ण भरे जाने की स्थिति में आवेदन को निरस्त (Delete) विकल्प का चयन कर आवेदन करने की अन्तिम तिथि अथवा समय से पूर्व पुनः आवेदन कर सकते हैं।
13. आवेदनकर्ता की आयु दिनांक 01.11.2022 को 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
14. शिक्षा विभाग/राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शिक्षक पुरस्कार (पुरस्कृत शिक्षिक) तथा जिला स्तर पर जिला कलकटर, उपरखण्ड पर उपरखण्ड अधिकारी द्वारा प्रदत्त मान्य होगा।
15. किसी भी प्रकार का न्यायिक विवाद होने की स्थिति में क्षेत्राधिकार जयपुर जिले के न्यायिक क्षेत्र में होगा।
16. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर के पास रिक्त पदों की संख्या में कमी/वृद्धि करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
17. छात्रों के लिये संचालित आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में पुरुष शिक्षकों को एवं इसी प्रकार छात्राओं के लिये संचालित आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में महिला शिक्षिकाओं को वार्डन पद हेतु प्रतिनियुक्ति पर लिया जायेगा किन्तु छात्र आवासीय विद्यालय / छात्रावास में शिक्षण कार्य पद हेतु शिक्षक / शिक्षिका दोनों ही मान्य रहेंगे।

पात्रता की शर्तें

1. राज्य सरकार के शिक्षा विभाग प्रारंभिक/माध्यमिक एवं पंचायत राज विभाग में कार्यरत किसी भी जिले के शिक्षक/ शिक्षिकायें (प्रतिबंधित जिलों/टीएसपी क्षेत्रों को शामिल करते हुए) नेताजी सुभाषचन्द्र बोस आवासीय विद्यालय / छात्रावासोंमें पदों की पात्रता एवं योग्यता के अनुसार आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
2. परिवीक्षाकाल में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाएं भी आवेदन के लिए पात्र होंगे।
3. साक्षात्कार में चयनित शिक्षक/शिक्षिका को 04 वर्ष की अवधि के लिए निम्नानुसार पदस्थापित जायेगा तथा चार वर्ष की अवधि उपरान्त एक वर्ष सेवा में विस्तार किया जा सकेगा –
 - कक्षा 6 से 8 के नेताजी सुभाषचन्द्र बोस आवासीय विद्यालय/छात्रावासों के लिए चयनित शिक्षक/ शिक्षिकाओं को आवासीय विद्यालय/छात्रावास में ही प्रतिनियुक्त किया जायेगा।
4. नेताजी सुभाषचन्द्र बोस आवासीय विद्यालय/छात्रावासों में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त शिक्षक/ शिक्षिकाओं/कार्मिकों को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की अनुपालना में आवासीय विद्यालय/छात्रावासों का संचालन के दायित्व का निर्वहन करना होगा।
5. स्थानान्तरण में शिथिलन एवं इस पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति की नीति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।
6. सभी आवासीय विद्यालय / छात्रावासों में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त शिक्षक/ शिक्षिका द्वारा 04 वर्ष की अवधि पूरी होने से पूर्व / किसी विशेष परिस्थिति में शिक्षक/शिक्षिका द्वारा विद्यालय मय छात्रावास/केवल छात्रावास के कार्यभार से मुक्त होने के आवेदन करने पर अथवा वार्डन/सहायक वार्डन की सेवाएं असंतोषप्रद पाये जाने पर एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की स्थिति में शिक्षक / शिक्षिका को पुनः उसी मूल जिले में पदस्थापन दिया जायेगा जहां पर वह आवासीय विद्यालय / छात्रावास में प्रतिनियुक्ति से पूर्व नियुक्त थे / रहे हैं। इसके लिये राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा निदेशक मा.शि/प्रा.शि बीकानेर को लिखा जायेगा अथवा सम्बन्धित संयुक्त निदेशक अथवा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रार./माध्य. (मुख्यालय), संबंधित जिला कार्यालय हेतु कार्यमुक्त कर पदस्थापन करने के लिए निर्देशित किया जायेगा।
7. शिक्षक / शिक्षिकाओं के चयन से लेकर पदस्थापन से समस्त अधिकार राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर के पास ही होगा।
8. प्रतिनियुक्त प्रत्येक शिक्षक/शिक्षिका एक माह में रविवार सहित अधिकतम 02 दिवस के राजपत्रित अवकाशों का उपभोग कर सकेगी। रविवार सहित शेष अवकाशों के दिन आवासीय विद्यालय/छात्रावास में आवासीय सेवाएं देनी होंगी।
9. प्रतिनियुक्त उपरान्त शिक्षक / शिक्षिका को अपने 04 वर्ष तक की आयु के बच्चे की देखभाल के लिए स्वयं के खर्च पर व्यस्क महिला केयर टेकर रखने की अनुमति होगी तथा स्वयं की अधिकतम 11 वर्ष तक की पुत्री एवं 06 वर्ष के पुत्र को अपने साथ आवासीय विद्यालय/ छात्रावास में रखने की अनुमति होगी।

**बेघर, बेसहारा बालक-बालिकाओं के लिये संचालित
नेताजी सुभाषचन्द्र बोस आवासीय विद्यालय / छात्रावास में साक्षात्कार हेतु पात्रता**

{ आवासीय विद्यालय हेतु पात्रता एवं पद }

आवासीय विद्यालय	पद	विषय	कार्य	पात्रता
नेताजी सुभाषचन्द्र बोस आवासीय विद्यालय	वरिष्ठ अध्यापक /अध्यापिका तृ.श्रे.अ.लेवल-II	हिन्दी/संस्कृत,गणित/विज्ञान , सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी	वार्डन / सह वार्डन कम अध्यापन कार्य	माध्यमिक शिक्षा /प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, पंचायतराज में कार्यरत शिक्षक / शिक्षिकाएं
	तृ.श्रे.अ. लेवल-I	कण्डेन्स कोर्स हेतु	अध्यापन कार्य	

{ छात्रावास हेतु पात्रता एवं पद }

आवासीय विद्यालय	पद	कार्य	पात्रता
नेताजी सुभाषचन्द्र बोस छात्रावास	वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापिका ग्रेड- II अथवा तृतीय श्रेणी लेवल- II	वार्डन	माध्यमिक शिक्षा /प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, पंचायतराज में कार्यरत शिक्षक / शिक्षिकाएं
	तृतीय श्रेणी लेवल- I	कन्डेन्स कोर्स शिक्षक	

{ शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता अंक विभाजन }

क्र. सं.	शैक्षिक/प्रशैक्षिक व अन्य योग्यता	निर्धारण किए गए अंक		
		प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
1	सैकण्डरी	5	3	1
2	हायर सैकण्डरी	5	3	1
3	स्नातक	5	3	1
4	अधिस्नातक	5	3	1
5	बी.एड/एम.एड./बी.एस.टी.सी. अथवा पी.एच.डी	5	3	1
6	पुरस्कार	राष्ट्रीय स्तर (शिक्षक दिवस पर प्रदत्त) 5	राज्य स्तर (शिक्षक दिवस पर प्रदत्त) 4	जिला स्तर (जिला कलक्टर द्वारा प्रदत्त) 3
	योग		30	2
7	साक्षात्कार के अंक		30	
	कुल योग		60	

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस आवासीय विद्यालय / छात्रावासों के लिये प्रतिनियुक्त किये जाने वाले पदों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:-

{ आवासीय विद्यालय हेतु पद }

क्र० स०	जिला	विद्यालय / छात्रावास संख्या	कुल पदों की संख्या जिनके लिये इन्चरब्यू करवाये जाने प्रस्तावित है
1	अलवर	1	1
2	बाडमेर	1	3
3	जालौर	1	3
4	उदयपुर	1	2
	योग	4	9

{ छात्रावास हेतु पद }

क्र० स०	जिला	विद्यालय / छात्रावास संख्या	कुल पदों की संख्या जिनके लिये इन्चरब्यू करवाये जाने प्रस्तावित है
1	बीकानेर	1	2
2	जैसलमेर (देवीकोट)	1	1
3	जैसलमेर (चांदन)	1	2
4	कोटा	1	2
	योग	4	7

पद एवं विषयानुसार पद विवरण :-

आवासीय विद्यालय

क्र० स०	जिला	विद्यालय / छात्रावास संख्या	हैड मास्टर कम वार्डन – एक पद (वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापिका ग्रेड-II) अथवा तृतीय श्रेणी लेवल-II)				शिक्षक / शिक्षिका (तृतीय श्रेणी लेवल-I)	कुल पदों की संख्या
			विषय हिन्दी / संस्कृत	विषय गणित / विज्ञान	विषय अंग्रेजी	विषय सामाजिक विज्ञान		
A	B	C	D	E	F	G	H	I = D to H
1	अलवर	1	1	0	0	0	0	1
2	बाडमेर	1	1	1	0	0	1	3
3	जालौर	1	1	1	0	1	0	3
4	उदयपुर	1	0	1	0	1	0	2
	योग	4	3	3	0	2	1	9

आवासीय छात्रावास

क्र० स०	जिला	विद्यालय / छात्रावास संख्या	वार्डन (वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापिका ग्रेड-II) अथवा तृतीय श्रेणी लेवल-II)	शिक्षक / शिक्षिका (तृतीय श्रेणी लेवल-I) कार्डेन्स कोर्स हेतु	कुल पदों की संख्या
1	बीकानेर	1	1	1	2
2	जैसलमेर (देवीकोट)	1	1	1	2
3	जैसलमेर (चांदन)	1	1	0	1
4	कोटा	1	1	1	2
	योग	4	4	3	7
	सर्व योग	8	12	4	16

**वैकल्पिक शिक्षा अन्तर्गत बेघर, बेसहारा बालक-बालिकाओं के लिये संचालित
नेताजी सुभाषचन्द्र बोस आवासीय विद्यालय/छात्रावासों में शिक्षक /शिक्षिकाओं के रिक्त पदों हेतु
ऑन लाईन इंटरव्यू में भाग लेने वाले अभ्यार्थियों के लिये विशेष निर्देश**

1. कोरोनाकाल में सामाजिक दूरी को बनाए रखने और अभ्यार्थियों को यात्रा परेशानियों से बचाने हेतु ऑनलाईन इंटरव्यू की सुविधा शुरू की गई है।
2. इंटरव्यू Microsoft team के माध्यम से ऑनलाईन आयोजित किये जायेंगे।
3. समस्त अभ्यार्थी अपने लैपटॉप/डेस्कटॉप/मोबाइल में Microsoft team सॉफ्टवेयर/एप इंस्टॉल करना सुनिश्चित करें तथा साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें कि डेस्कटॉप एवं लैपटॉप में आवश्यक उपकरण जैसे-कैमरा तथा ऑडियो डिवाइस (माइक एवं स्पीकर) हो व अभ्यार्थी साक्षात्कार के समय ईयर फोन व मार्झक का उपयोग करें।
4. प्रत्येक अभ्यार्थी यह सुनिश्चित करे कि वह ऐसे स्थान पर बैठे जहां पर्याप्त इंटरनेट स्पीड, विद्युत सप्लाई (पॉवर बैकअप) एवं पर्याप्त रोशनी हो। उक्त व्यवस्थाओं से आश्वस्त होकर अभ्यार्थी अपनी सुविधानुसार किसी भी स्थान से इंटरव्यू दे सकता है।
5. प्रत्येक अभ्यार्थी को सौम्य एवं शालीन वेशभूषा में अनुशासित ढंग से ही इंटरव्यू पैनल के समक्ष ऑनलाईन उपस्थित होना होगा।
6. ध्यान रहे कि अभ्यार्थी का कैमरा चेहरे पर ही स्थिर रहे एवं फ्रेम अन्यत्र विस्थापित नहीं होना चाहिए।
7. अभ्यार्थी को जब तक पैनल द्वारा कॉल न किया जाये वह अपना कैमरा, मार्झक, स्पीकर आदि को बन्द रखें।
8. इंटरव्यू पैनल द्वारा अनुमति दिए जाने पर ही अभ्यार्थी वर्चुअल इंटरव्यू रूम में प्रवेश करेगा। अतः समस्त अभ्यार्थी संयम रखें और अपनी बारी की प्रतीक्षा करें।
9. अभ्यार्थी जहां से इंटरव्यू दे रहा है वहां आसपास किसी प्रकार की तेज आवाज व व्यवधान नहीं हो, यह सुनिश्चित कर लें।
10. अभ्यार्थी के मोबाइल नम्बर (जो आवेदन पत्र में अभ्यार्थी द्वारा भरा जाएगा) पर इंटरव्यू दिनांक, स्लॉट, समय विवरण और संबंधित पैनल रूम का लिंक Text Messageद्वारा भेज दिया जाएगा। अतः अपना स्टॉफ विन्डो/मोबाइल में Text Message चैक करते रहें।
11. अभ्यार्थी का जो नाम आवेदन पत्र में होगा उसी नाम से “मार्झकोसाफ्ट टीम एप” में अपने आप को रजिस्टर करें, अभ्यार्थी जब वर्चुअल इंटरव्यू रूम में प्रवेश करे तो अभ्यार्थी का नाम मार्झकोसाफ्ट टीम एप में दिखाई देना चाहिए।
12. साक्षात्कार के समय अभ्यार्थी के साथ / पास कोई अन्य सदस्य नहीं होना चाहिए।